भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 223

(सोमवार, 01 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

सीसीआई ग्रीन चैनल फाइलिंग

223. डॉ. शशि थरूरः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सीसीआई के समक्ष ग्रीन चैनल फाइलिंग का प्रतिशत वर्ष 2021 से वर्ष 2024 तक घट कर कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसके कारणों का आकलन किया गया है;

(ग) क्या सीसीआई ने ग्रीन चैनल नियमों की सख्त व्याख्या का विकल्प चुना है जहां वह उन गैर-समस्याग्रस्त लेन-देनों में ग्रीन चैनल रूट की प्रयोज्यता को अस्वीकार करता है जहां कि पक्षकारों के बीच न्यूनतम या तकनीकी ओवरलैप था और क्या यही कठोर व्याख्या ग्रीन चैनल फाइलिंग में कमी का कारण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सितम्बर, 2024 में ग्रीन चैनल नियमों में किए गए परिवर्तन, जिनमें ग्रीन चैनल फाइलिंग के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य (लक्ष्यों) के साथ ओवरलैप के लिए अधिग्रहणकर्ता समूह के अंतिम नियंत्रक व्यक्तियों (यूसीपी) पर विचार किया गया है, ग्रीन चैनल फाइलिंग को और कम कर देंगे; और

(च) यदि हां, तो इस बाधा को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): 2020-2021 और 2023-2024 से कुल संयोजन नोटिस फाइलिंग के प्रतिशत के रूप में ग्रीन चैनल फाइलिंग की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	ग्रीन चैनल फाइलिंग की संख्या	ग्रीन चैनल फाइलिंग का %
2020-21	17	19%
2021-22	24	27%
2022-23	25	25%
2023-24	25	22%

वित्तीय वर्ष 2020-2021 और 2023-2024 के दौरान कुल संयोजन नोटिस फ़ाइल करने के प्रतिशत के रूप में ग्रीन चैनल फाइलिंग की संख्या 19 प्रतिशत से बढ़कर 22 प्रतिशत हो गई है।

(ग) और (घ): ग्रीन चैनल अनुमोदन की एक स्वचालित प्रणाली है, जो केवल उन विलयनों, समामेलन और अधिग्रहणों (संयोजनों) के लिए उपलब्ध है, जहां संयोजन के पक्षों के बीच किसी भी प्रकार का कोई व्यावसायिक ओवरलैप नहीं है, चाहे वह क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या पूरक प्रकृति का हो। ग्रीन चैनल के प्रावधान प्रतिस्पर्धा (संयोजन के मानदंड) नियम, 2024 (ग्रीन चैनल नियम) के साथ पठित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 6(4) और 6(5) के तहत प्रदान किए गए हैं। तदनुसार, आयोग अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों और उसके तहत नियमों/विनियमों के अनुसार ग्रीन चैनल फाइलिंग की प्रयोज्यता का आकलन करता है।

(ङ) और (च): आयोग सितंबर 2024 से ही पहले मामला-दर-मामला आधार पर अंतिम नियंत्रण व्यक्ति (यूसीपी) पर विचार करते हुए ग्रीन चैनल मार्ग के तहत दायर मामलों सहित संयोजन मामलों में ओवरलैप की पहचान/मानचित्रण कर रहा है। ग्रीन चैनल नियमों में यूसीपी की शुरूआत जैसे प्रतिस्पर्धा (संयोजन का मानदंड) नियम, 2024 के साथ-साथ, संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) (https://www.cci.gov.in/images/publications_booklet/en/faqs-on-combinations-english1747725949.pdf) की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए हैं जो अधिक स्पष्टता और स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे हितधारकों को ओवरलैप का आकलन करने में सुविधा होती है।

*****